



AVIVA
| Life Insurance |

INDIA
PARTNER

Dabur
GROUP



महान फैसले
एक निःकट दृष्टिकोण से आते हैं।

अवीवा कॉर्पोरेट लाइफ प्लान

नॉन-लिंकड नॉन-पार्टिसिपेटिंग योजना

प्रमुख विशेषताएँ ➤

उत्पाद UIN: 122N067V03



अवीवा कॉर्पोरेट लाइफ प्लास मुख्य रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए बनाई गई एक ग्रुप टर्म एश्योरेंस योजना है। उत्पाद अन्य उपयुक्त समूहों पर भी लक्षित हो सकता है।

इस योजना का लक्ष्य है:

- एक कॉर्पोरेट कर्मचारी की असामयिक मौत के कारण उत्पन्न परिवार के सदस्यों / आश्रितों को वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए।
- न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए – यदि कोई व्यक्तिगत सदस्य की बीमा राशि मुफ्त कवर सीमा नामक सीमा से कम या उसके बराबर होती है तो हमारे लिए कोई चिकित्सा परीक्षण आवश्यक नहीं होता है।

मास्टर पॉलिसीधारक कौन है?

नियोक्ता (या, समूह का प्रमुख) मास्टर पॉलिसीधारक होगा।

एक योग्य सदस्य कौन है?

18 से 69 वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति और कॉर्पोरेट या गैर-सदस्य का कर्मचारी। नियोक्ता/कर्मचारी समूह एक योग्य सदस्य है। राइडर विवरण के लिए प्रवेश या निकास आयु, बहिष्करण इत्यादि जैसी सीमाओं के लिए कृपया राइडर ब्रोशर देखें।

जीवन कवर सीमा क्या हैं?

न्यूनतम बीमा राशि प्रति कर्मचारी ₹10,000 प्रति कर्मचारी और ₹1 करोड़ प्रति योजना है। अधिकतम सुनिश्चित राशि पर कोई सीमा नहीं है।

कौन से वैकल्पिक राइडर्स उपलब्ध हैं?

योजना के साथ निम्नलिखित राइडर उपलब्ध हैं :

- ग्रुप पर्माइंट टोटल डिसैबिलिटी (PTD) राइडर (UIN: 122C009V01)
- ग्रुप डबल एक्सडैंट बेनिफिट (DAB) राइडर (UIN: 122B006V02)
- ग्रुप क्रिटिकल इलनेस राइडर (न्यू राइडर) (स्टैंड अलोन ऑप्शन/एक्सेलरेटेड ऑप्शन) (UIN: 122B018V02)

ये राइडर आमतौर पर योजना स्तर पर लागू होते हैं। प्रत्येक सदस्य के लिए राइडर की कुल बीमा राशि पर अधिकतम सीमा मूल बीमा राशि के बराबर होती है जो कि प्रत्येक राइडर के लिए ₹50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन होती है।

क्या लाभ हैं?

- बीमाकृत सदस्य की मृत्यु के मामले में, बीमा राशि देय होगी।
- यदि ग्रुप PTD राइडर (UIN: 122C009V01) को चुना गया है और बीमाकृत सदस्य कुल स्थायी अक्षमता से जूझता है, तो PTD राइडर बीमा राशि देय होगी।
- यदि ग्रुप DAB राइडर (UIN: 122B006V02) का चयन किया गया है और बीमाकृत सदस्य दुर्घटना से मर जाता है, तो DAB राइडर बीमा मूल बीमा राशि के अतिरिक्त देय होगी।
- यदि ग्रुप CI राइडर (न्यू राइडर) एकमात्र विकल्प का चयन किया गया है और बीमाकृत सदस्य को किसी भी कवर की गई गंभीर बीमारी से जूझता है तो बीमाकृत सदस्य के अस्तित्व पर पुष्टि के बाद 30 दिनों के लिए गंभीर बीमारी (CI) का निदान और बाद में दावे की स्वीकृति के बाद, राइडर बीमा राशि देय होगी। इस राइडर के तहत किसी दावे की स्वीकृति पर, सीआई राइडर कवर समाप्त कर दिया जाएगा, हालांकि, अन्य राइडर कवर सहित मूल जीवन कवर, यदि कोई है तो उनके नियम और शर्तों के अनुसार जारी रहेगा।
- यदि ग्रुप CI राइडर (न्यू राइडर) त्वरित बीमारी (CI) की पुष्टि निदान के 30 दिनों के बाद बीमित व्यक्ति के अस्तित्व पर तब किसी भी कवर की गई गंभीर बीमारी से सदस्य को पीड़ित और बीमाकृत व्यक्ति का चयन किया गया है और बाद में हमारी स्वीकृति पर, राइडर को दावे की बीमा राशि देय होगी। इस राइडर के तहत किसी दावे की स्वीकृति पर, CI राइडर कवर समाप्त कर दिया जाएगा, हालांकि, अन्य राइडर कवर सहित बुनियादी जीवन कवर, यदि कोई है तो राइडर को बीमा द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अपवाद क्या हैं?

अगर बीमाकृत सदस्य की मौत आत्महत्या के कारण होती है या योजना के तहत सदस्य बनने की तिथि के 12 महीने के भीतर आत्महत्या करने की कोशिश की जाती है तो कोई लाभ नहीं होता है। यह प्रावधान केवल गैर नियोक्ता—कर्मचारी समूहों के मामले में लागू होगा और समूह की प्रोफाइल/विशेषताओं को देखते हुए इसमें व्यक्तिगत आधार पर राहत दी जा सकती है।

गैर नियोक्ता—कर्मचारी समूह के मामले में 45 दिनों का ग्रहणाधिकार होगा। सदस्य बनने की तारीख के पहले 45 दिनों की अवधि के दौरान दुर्घटना के अलावा मृत्यु के मामले में योजना के तहत कोई देय नहीं होगा। समूह के प्रोफाइल को देखते हुए इसमें व्यक्तिगत आधार पर राहत दी जा सकती है।

राइडर के विशिष्ट बहिष्करण के लिए, कृपया राइडर ब्रोशर देखें।

दावा प्रक्रिया क्या है?

आपको हमें मृत्यु प्रमाणपत्र और दावा फॉर्म देना जरूरी है। हालांकि, PTD या CI के दावे के मामले में, पीटीडी और/या गंभीर बीमारी की पहचान का एक पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए और इसे मास्टर पॉलिसीधारक की लागत पर स्वीकार्य नैदानिक, रेडियोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल और प्रयोगशाला स्बूत द्वारा इसे समर्थित होना चाहिए।

मास्टर पॉलिसीधारक को निदान की तारीख से 60 दिनों के भीतर गंभीर बीमारी के निदान के बारे में सूचित करना चाहिए और यदि उनके दावे के समर्थन में न्यूरोलॉजिस्ट या किसी अन्य विशेष चिकित्सकीय चिकित्सक से आवश्यक हो तो विशेष चिकित्सा मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करें।

कर फायदे क्या हैं?

आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित कर लाभ उपलब्ध हैं :

- नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम को भुगतान के वर्ष में कर उद्देश्यों के लिए एक व्यय माना जाता है।
- कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम को कर्मचारी के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा।
- दावा घटना के होने पर भुगतान किए गए लाभ कर योग्य नहीं हैं।
- कर कानून समय—समय पर बदल सकते हैं।

लाइफ कवर प्रीमियम का भुगतान किस आवृत्ति पर किया जा सकता है?

जीवन बीमा प्रीमियम वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक भुगतान किया जा सकता है। अनिवार्य जीवन कवर में वार्षिक आवृत्ति अलावा, किस्त प्रीमियम की गणना नीचे दी गई है :



अर्धवार्षिक प्रीमियम	वार्षिक प्रीमियम* 0.5108
त्रैमासिक प्रीमियम	वार्षिक प्रीमियम* 0.2591
मासिक प्रीमियम	वार्षिक प्रीमियम* 0.0871

प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 30 दिन की छूट अवधि दी जाती है। अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान करने में विफलता अनिवार्य जीवन कवर पहली अवैतनिक प्रीमियम (चूक की तारीख) की तारीख से समाप्त हो जाएगी।

अनिवार्य जीवन कवर प्रीमियम निर्धारित कैसे किया जाता है?

देय जीवन बीमा प्रीमियम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है – सदस्य समूह का आकार, सदस्यों की आयु, वितरण, उनके व्यवसाय, व्यक्तिगत सदस्यों के लिए बीमा राशि आदि। प्रीमियम पॉलिसीधारक से व्यक्तिगत कर्मचारी डेटा प्राप्त करने पर प्रीमियम दर उद्भूत की जाती है। मास्टर पॉलिसीधारक के पास कंपनी के अंडरराइटिंग आवश्यकताओं के अधीन, उनके सदस्यों के लिए बीमा राशि के विभिन्न स्तरों का चयन करने का विकल्प होता है। प्रीमियम दर सभी सदस्यों के संबंध में यूनिट प्रीमियम दर होगी और पॉलिसी की प्रत्येक वर्षगांठ पर समीक्षा होगी। कर लागू होंगे मगर सामान और सेवा कर तक सीमित नहीं है, लागू होने वाले सेसेस को सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाएगा। कर कानून बदल सकते हैं।

योजनाओं के लिए एक मुफ्त कवर सीमा होगी। प्रत्येक सदस्य के लिए निःशुल्क कवर सीमा (FCL) तक बीमा राशि स्वास्थ्य के किसी भी व्यक्तिगत सबूत के बिना प्रदान की जाएगी। FCL समूह के आकार; दर, औसत बीमा राशि, और योजना के किसी भी अन्य जोखिम मानकों पर निर्भर करेगा।

योजना के शुरू होने के बाद शामिल होने वाले नए प्रवेशकर्ता पूरे पॉलिसी वर्ष में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और पॉलिसी वर्ष के अंत तक शामिल होने की तारीख से आनुपातिक जोखिम प्रीमियम मास्टर पॉलिसीधारक द्वारा देय होगा। अंडरराइटिंग, प्रतीक्षा अवधि इत्यादि से संबंधित अन्य सभी नियम प्रारंभ होने की तारीख या पॉलिसी वर्ष पर होने वाले अन्य सदस्यों के लिए लागू होने के समान ही बने रहेंगे।

बड़ी बीमा राशि छूट क्या है?

एक बड़ी राशि का आश्वासन दिया गया है, यदि समूह के लिए कुल बीमा राशि 15 करोड़ रुपये से अधिक या बराबर है तो 5 पैसे प्रति हजार बीमा राशि का प्रीमियम छूट दिया जाएगा।

आवश्यक न्यूनतम समूह आकार क्या है?

न्यूनतम समूह का आकार 50 सदस्य है।

बहाली अवधि क्या है?

यदि प्रीमियम अवधि के भीतर प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी लेकिन विलंब की तारीख से छह महीने के भीतर बहाल की जा सकती है। मध्यवर्ती अवधि में समूह के दावे के अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम दर को फिर से निर्धारित किया जाएगा। कंपनी को यह तय करने का अधिकार सुरक्षित है कि पॉलिसी को बहाल करना है या नहीं।

मास्टर पॉलिसी के आत्मसमर्पण पर देय राशि क्या है?

यह योजना एक संपूर्ण सुरक्षा योजना है। इसलिए, योजना समाप्त होने के मामले में कोई समर्पण मूल्य देय नहीं है।

फ्रीलुक अवधि :

मास्टर पॉलिसीधारक को पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि मास्टर पॉलिसीधारक फ्रीलुक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द कर देता है, तो कंपनी रद्दीकरण की तारीख पर प्रीमियम, आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, यदि कोई हो, और चिकित्सा और स्टाम्प ड्यूटी पर किए गए खर्चों का कटौती करने के बाद वापस कर देगी।

नामांकन :

सदस्यों के रजिस्टर में अन्य सदस्यों के विवरण के साथ—साथ व्यक्तिगत सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों को दर्ज किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी

स्वीकृति

हम जोखिम की स्वीकृति और प्रीमियम की प्राप्ति तक उत्तरदायी नहीं होंगे।

आविवा के साथ निवेश क्यों करें

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड डाबर इंवेस्टमेंट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड—यूके स्थित बीमा समूह, जिसका 1834 से भारत के साथ संबंध है, का संयुक्त उद्यम है। अवीवा समूह दुनिया के सबसे पुराने बीमा समूहों में से एक है। वर्तमान में, यह 16 देशों (मार्च, 2015) में 31 मिलियन ग्राहकों की सेवा करता है।

1884 में स्थापित डाबर समूह, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

धारा 41

किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति देने या किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में बीमा, पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम के पूरे या हिस्से के किसी भी छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम का कोई छूट लेने या नवीनीकरण करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और न ही कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी ले रहा है या नवीनीकरण कर रहा है या पॉलिसी जारी रखेगा। इस तरह की छूट को छाड़कर, प्रकाशित प्रॉस्प्रेक्टस या बीमाकर्ता की सारणी के अनुसार अनुमति दी जा सकती है:

इस तरह के स्वीकृति के समय अपने स्वयं के जीवन को इस उपधारा के अर्थ में प्रीमियम के छूट के स्वीकृति के रूप में समझा नहीं जाएगा। बशर्ते कि जीवन बीमा पॉलिसी की पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एजेंट द्वारा स्वीकृति दी गई हो, बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित एक पूर्ण बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति दोषी के रूप से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 45

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसार, तीन वर्ष के बाद गलतफहमी के आधार पर नीति को प्रश्न के घेरे में नहीं रखा जाना चाहिए।

पूछताछ और शिकायत:

अगर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं या यदि आपके पास कोई प्रश्न या शिकायत है,
नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए, 1800 180 2244 पर कॉल करें (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री)
या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737, वेबसाइट: www.avivaindia.com



टावर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122)

मुख्य कार्यालय: अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

वेबसाइट: www.avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

MKT/June 2016/Ver. 1.2

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा बॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के तहत इसका उपयोग करती है। लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880. ई-मेल: customerservices@avivaindia.com. फैक्स: 0124-2701213. वेबसाइट: www.avivaindia.com. कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं। UIN: 122N067V03, Advt No.: Jul 03/17.

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधान: IRDA की सार्वजनिक घोषणा: • IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।